

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

ORDER

No. Estt.(RJS)/74/2022

Date : 24.05.2022

Shri Harun, an officer in the District Judge Cadre, presently under awaiting posting order headquarter at District & Sessions Judge, Jaipur Metropolitan-I, who has been appointed/posted as **Judge, Labour Court No. 2, Jaipur Metropolitan-II** vide State Government Order No. F.1(47) L&E/79-Part dated 23.05.2022, is hereby directed to join his new assignment immediately.

BY ORDER


REGISTRAR GENERAL

No.Estt.B2(v)1/2022/1771

Date : 24.05.2022

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Registrar-Cum-Principal Secretary to Hon'ble the Chief Justice, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur.
2. The Secretary to the Law Minister, Government of Rajasthan, Jaipur.
3. All the sitting Hon'ble Judges at RHC, Jodhpur/Bench, Jaipur through E-mail.
4. The Principal Secretary to the Government, Law Department-Cum-Legal Remembrancer, Rajasthan, Jaipur.
5. The Secretary to the Government of Raj, Department of General Administration (Gr.2), Jaipur.
6. The Secretary to the Government of Rajasthan, Labour & Employment Department, Rajasthan, Jaipur.
7. The Secretary, Lokayukta, Sachivalaya, Jaipur.
8. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
9. The Registrar General/ Registrar(Vig.)/(Admn.)/(Rules)/(Class.)/(Exam.)/OSD(F&I)/(Judicial) Rajasthan High Court, Jodhpur and Registrar HQ. at Delhi.
10. The Registrar (Admn.), Rajasthan High Court Bench, Jaipur with the request to distribute the copies of this order to all the Judicial Officers posted in the Registry at Jaipur Bench, Jaipur/ Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur.
11. All Jt. Registrars/ Deputy Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur.
12. Concerned District & Sessions Judges with the request to serve/circulate the copy of this order to the concerned Court/Officer/Posts/Treasury Officer as per direction issued vide this office letter No 17022 dated 08.10.2015.
13. The Director, Rajasthan State Judicial Academy, Jodhpur.

Personal File/
Conf. /Accounts/General/Store
Sub. Court/Statistics/Computer Cell
RJS Leave/Jr. Actt. /Building Cell


REGISTRAR GENERAL

राजस्थान सरकार
श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

कमांक प.1(47)श्रनि/79- पार्ट

जयपुर, दिनांक 23.05.2022

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा आदेश कमांक प.1(47)श्रनि/79/पार्ट दिनांक 23.05.2022 जारी कर निम्न न्यायाधीश को उनके सम्बन्ध अंकित न्यायालय में पदस्थापित किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा 7 की उप धारा (2) एवं धारा 7 ए की उप-धारा (2) संपठित धारा 8 तथा राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम, 1958 के नियम, 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इसके द्वारा नीचे सारणी के कालम सं. 02 में उल्लेखित राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला जज केडर के अधिकारी को उनके सामने कालम सं. 03 में वर्णित औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	अधिकरण एवं न्यायालय का नाम
(01)	(02)	(03)
1	श्री. राजेश, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर, मेट्रोपोलिटन-1	न्यायाधीश, श्रम न्यायालय संख्या-2, जयपुर, मेट्रोपोलिटन-1

राज्यपाल के आदेश से,

(परमेश्वर लाल)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 23.05.2022 में प्रकाशित करने का कष्ट करे।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज.जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बायलर्स एवं ईएसआई विभाग, राज. जयपुर।
4. आयुक्त, श्रम विभाग, राज. जयपुर।
5. न्यायाधीश, श्रम न्यायालय संख्या-2 जयपुर।
6. श्री हाउस, न्यायाधीश, श्रम न्यायालय संख्या-2, जयपुर।
7. शक्ति पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक-प.1(47)शनि/79-पार्ट

जयपुर दिनांक 23.05.2022

—: आदेश :-

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक पीए/आरजी/8()//2622/1511 दिनांक 07.05.2022 के अनुसरण में Shri Harun, जिला जज केडर के अधिकारी जो कि वर्तमान में Awaiting Posting Orders Hq. at District & Sessions Judge, Jaipur Metropolitan-I है, को Judge Labour Court No.2, Jaipur Metropolitan-II के पद पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

(परमेश्वर लाल)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, श्रम, कारखाना बॉयलर्स एवं निरीक्षण विभाग, राज0, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना प बायलर्स एवं ईएसआई विभाग राज0, जयपुर।
- 7 निजी सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 8 आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 9 सम्बन्धित न्यायाधीश/न्यायालय।
- 10 डिविजनल इंजिनियर, टेलिफोन जयपुर।
- 11 अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 23.05.2022 में प्रकाशित करने का कष्ट करे।
- 12 निजी एवं स्थित पत्रावली।

(परमेश्वर लाल)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

- 13 रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 14 सचिव, श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 15 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 16 सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- 17 सचिव, लोकसभा, राजस्थान, जयपुर।
- 18 निबंधक, राजपत्र मण्डल अजमेर।
- 19 अति. निबंधक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
- 20 रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

(परमेश्वर लाल)
विशिष्ट शासन सचिव